न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २१८२/दो/13 विरूध्द आदेश दिनांक २/५/२०१३ पारित व्दारा नायब तहसीलदार, तहसील मझगंवा, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक १३/अ-६/०७-०८

१ ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय पु0 श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
२ तेजराज पाण्डेय पु0 श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
३ सुशील कुमार पु0 श्री हीरामणि पाण्डेय
समस्त निवासीगण शाहपुर ताली तहसील
रघुराज नगर जिला सतनाम0 प्र0 - आवेदकगण

- विरूध्द -

बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय पु0 श्री सुन्दरलाल पाण्डेय
निवासी शाहपुर ताली तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0 प्र0
- अनावेदक

श्री सुनील जादौर,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र २१८२/दो/१३ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा की धारा ५० के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील मझगंवा जिला सतना के प्र क्र १३/अ-६/२००७-०८ में पारित आदेश दि २-५-१३ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

नायब तहसीलदार, वृत्त बरौंधा, तहसील मझगवां द्वारा आक्षेपित आदेश दि २-५-१३ के माध्यम से अनु अधि की ओर से उन्हें प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर, अपने न्यायालय के उसी प्रकरण क्र १३/अ-६/०७-०८ में पूर्व में पारित आदेश दि १२-१०-१२ के पालन का पटवारी को निर्देश दिया है.

इस आदेश के विरुद्ध निगराकार ने रा.मं में यह निगरानी दायर की है.

३ मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

निगराकार अधिवक्ता का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा मान उच्च न्या के स्थगन के बावजूद आक्षेपित आदेश के माध्यम से उनके पूर्व आदेश दि १२-१०-१२ के क्रियान्वयन का आदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने गैरनिगराकार के आवेदन को स्वीकृत कर रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश पारित किया था. इस प्रकार, निगाराकर अधिवक्ता के अनुसार, नायब तहसीलदार ने मान उच्च न्या के स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है.

गिअर-निगराकार पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि मान उच्च न्या का कोई स्थगन आदेश चूँकि आदेश दि १२-१०-१२ या २-५-१३ को प्रभाव में था ही नहीं, इसलिए उसके उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता.

४ विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में मैंने प्रकरण के समस्त अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया.

ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य के व्यव.वाद एस ए क्र १०७३/०९ में मान उच्च न्या. ने दि १२-१०-०९ को पक्षकारों को यह निर्देश दिया था कि वे अगली पेशी तक वाद सम्पत्ती को अंतरित या एलियनेट ना करें या उसमे किसी तीसरे पक्ष के इंटरेस्ट ना उत्पन्न करें और इस सम्बन्ध में यथास्थिति बनाकर रखें.

तदुपरांत मान उच्च न्या ने दि ९-२-११ को प्रकरण आदम पैरवी में ख़ारिज किया, और दि ६-७-११ को मान उच्च न्या ने प्रकरण में रिस्टोरेशन का आवेदन cogent पाते हुए उसे allow किया और द्वितीय अपील क्र १०७३/२००९ को उसके मूल क्रमांक पर रिस्टोर किया.

स्पष्टतः, आदेश दि ६-७-११ में कहीं भी स्थगन के सम्बन्ध में कोई लेख नहीं है. साथ ही यह भी स्पष्ट है कि दि १२-१०-०९ को दिया गया स्थगन आदेश मान उच्च न्या के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की अगली पेशी तक के लिए ही जारी हुआ था, और दि १२-१०-०९ के बाद वहां कम से कम दो पेशियाँ (दि ९-२-११ जब प्रकरण ख़ारिज हुआ, और दि ६-७-११ जब प्रकरण रिस्टोर हुआ) लग चुकी हैं.

अतः, मैं यह पाता हूँ कि नायब तहसीलदार द्वारा जब उनका आक्षेपित आदेश दि २-५-१३ पारित किया गया, तब, निगराकार के बताए अनुसार मां उच्च न्या या अन्य किसी न्यायालय की ओर से प्रकरण में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था. अतः, नायब तहसीलदार के समक्ष उनका उक्त आदेश पारित करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं थी.

अतः, मैं निगरानी में पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए, उसे अस्वीकार करता हूँ और नायब तहसीलदार का आक्षेपित आदेश यथावत रखता हूँ.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर